प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.06.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एंजल मॉल कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस व द ब्लू क्लब में अवैध रुप से चल रहे हुक्का बार से 10 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 हुक्का मय चिलम, 09 हुक्का की पाईपे, 04 फ्लैवर्ड तम्बाकू के डिब्बे बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 30.06.2026 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एन्जल मॉल कौशाम्बी स्थित द पब्लिक हाउस व द ब्लू क्लब के अन्दर हुक्का बार चल रहा है काफी संख्या मे लोगो द्वारा बार मे हुक्का और फ्लैवर्ड तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जा रहा है । प्राप्त सूचना पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल एंजल मॉल कौशाम्बी पहुँचकर **द पब्लिक हाउस क्लब के अन्दर से 05 अभियुक्त** 1.रितिक पुत्र दिलीप निवासी दिल्ली गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2.भरत सिंह पुत्र चतुर सिंह निवासी ग्राम गोनियारो थाना हंस्यूंग जिला नैनीताल उत्तराखण्ड उम्र करीब 35 वर्ष 3.विशाल पुत्र हरी श्रीवास निवासी भगवा थाना भगवा जिला छतरपुर म0प्र0 उम्र करीब 18 वर्ष 4.कौशल पुत्र इन्दल सिंह निवासी ग्राम स्यूड़ा थाना काठ गोदाम जिला नैनीताल उत्तराखण्ड उम्र करीब 26 वर्ष 5.अंशुल पुत्र धर्मपाल निवासी 485 दिल्ली उम्र करीब 18 वर्ष को 04 हुक्का मय चिलम, 04 हुक्का की पाईपे, 02 फ्लेवर्ड तम्वाकू के गिरफ्तार किया गया, व **द ब्लू क्लब के अन्दर से 05 अन्य अभियुक्त** 1. प्रिंस पुत्र राजेश निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2. नावेद पुत्र राजा निवासी जवाहर पार्क गली नं0 05 थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3.जगदीश पुत्र धन्नू निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 4.अजय पुत्र महिपाल निवासी भारत मेडिकल भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 5.अनूप पुत्र इतवारी लाल निवासी गौरव के मकान में भारत मेडिकल भौवापुर थाना कोशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को 05 हुक्का मय चिलम, 05 हुक्का की पाईपे, 02 फ्लेवर्ड तम्वाकू डिब्बे के गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि0 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- द पब्लिक हाउस क्लब से गिरफ्तार अभियुक्तगण रितिक आदि 05 अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम लोग अपने क्लब संचालक/मालिक रिहान आलम के कहने पर ग्राहको की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते है। हमारे पास इसका कोई लाइसेंस नही है। हम सभी क्लब संचालक/मालिक रिहान आलम के अधीनस्थ रहकर हुक्का बार संचालन मे सहयोग करते हैं। क्लब मालिक/संचालक रिहान आलम मौके से भाग गया है एवं द ब्लू क्लब से गिरफ्तार अभियुक्तगण प्रिंस आदि 05 अभियुक्तों उपरोक्त ने पूछताछ पर एक स्वर में बताया कि हम लोग क्लब में नौकरी करते हैं तथा अपने क्लब संचालक/मालिक प्रवीन के कहने पर ग्राहको की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते है । हमारे पास इसका कोई लाइसेंस नही है। हम सभी क्लब संचालक/मालिक प्रवीन के अधीनस्थ रहकर अवैध तरीके से हुक्का बार संचालन मे सहयोग करते हैं। क्लब मालिक/संचालक प्रवीन मौंके से भाग गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रितिक पुत्र दिलीप निवासी दिल्ली गेट थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. भरत सिंह पुत्र चतुर सिंह निवासी ग्राम गोनियारो थाना हंस्यूंग जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड उम्र करीब 35 वर्ष।
3. विशाल पुत्र हरी श्रीवास निवासी भगवा थाना भगवा जिला छतरपुर म0प्र0 उम्र करीब 18 वर्ष।
4. कौशल पुत्र इन्दल सिंह निवासी ग्राम स्यूड़ा थाना काठ गोदाम जिला नैनीताल उत्तराखण्ड उम्र करीब 26 वर्ष।
5. अंशुल पुत्र धर्मपाल निवासी-485 दिल्ली उम्र करीब 18 वर्ष।
6. प्रिंस पुत्र राजेश निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

7. नावेद पुत्र राजा निवासी जवाहर पार्क गली नं0 05 थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
8. जगदीश पुत्र धन्नू निवासी भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
9. अजय पुत्र महिपाल निवासी भारत मेडिकल भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
10. अनूप पुत्र इतवारी लाल निवासी गौरव के मकान में भारत मेडिकल भौवापुर थाना कोशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

वांछित अभियुक्तः-

1. रिहान आलम पुत्र सैयद इरसाद हुसैन (द पब्लिक हाउस क्लब संचालक) (फरार)।
2. प्रवीन (द ब्लू क्लब संचालक) (फरार)।

बरामदगी का विवरणः-

- 09 हुक्का मय चिलम, 09 हुक्का की पाईपे, 04 फ्लैवर्ड तम्बाकू के डिब्बे बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम एवं एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (एएनटीएफ) मेरठ द्वारा 'ऑपरेशन प्रहार' के अन्तर्गत चलाये जा रहे संयुक्त अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, 05 लाख रुपये (ड्रग मनी), घटना में प्रयुक्त कार व अन्य उपकरण (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग एक करोड़ बयालीस लाख रुपये। ₹1,42,00,000/-), बरामद।

कार्यवाही का विवरण

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चलाये जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के अन्तर्गत थाना नन्दग्राम पुलिस टीम एवं एएनटीएफ (ANTF) मेरठ द्वारा मुखबिर की सूचना पर संयुक्त चेकिंग के दौरान आशियाना चौक से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर एफ-4, फर्स्ट फ्लोर, शक्ति खण्ड, इन्द्रापुरम से अवैध नशीले पदार्थ, अन्य उपकरण, घटना में प्रयुक्त कार व 05 लाख रुपये नकद (ड्रग मनी) बरामद किये गए। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

नितिन यादव पुत्र राधे श्याम यादव, मूल निवासी: लगना मनी, थाना बसरेहर, जनपद इटावा।
हाल निवासी: राजीव ठाकुर के फ्लैट में किरायेदार, पाम रिसोर्ट, फ्लैट संख्या- 1105, राजनगर एक्सटेंशन, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। (उम्र- 32 वर्ष)

पूछताछ का विवरण:

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह काफी समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के कार्य में संलिप्त है। बरामद माल वह जल विहार, दिल्ली से लेकर आता है। जल विहार से गांजा खरीदता है और फिर उसे अपने मकान पर लाकर उसकी पैकिंग करता है। पैकिंग करने के उपरांत, वह गांजा, चरस या एमडीएमए अपने एक साथी (जो गाजियाबाद का निवासी है) को बेचने के लिए देता है तथा दिन भर की बिक्री का हिसाब करता है। उसका साथी सुबह और शाम, दोनों समय इस फ्लैट पर आता है। अभियुक्त अपना सारा माल इसी फ्लैट पर रखता है और राजनगर

वाले फ्लैट पर कोई माल लेकर नहीं जाता है। माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि भी वह इसी फ्लैट पर रखता है और उन्हीं पैसों से अपनी ब्रेज़ा गाड़ी द्वारा जल विहार, दिल्ली जाकर पुनः माल खरीदकर लाता है।

आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त नितिन यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से संबंधित 02 अभियोग तथा थाना इन्द्रापुरम में आबकारी एक्ट/माल बरामदगी/गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 03 अभियोग (कुल 05 अभियोग) पंजीकृत हैं।अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:

1. **20 ग्राम एमडीएमए, 66 ग्राम ओजी, 7.908 किलोग्राम गांजा, 3.182 किलोग्राम मैंगो गांजा, 132 ग्राम चरस व 922 ग्राम गांजा चूरा**
2. **01** मारुति ब्रेजा कार
3. **02** आधार कार्ड, **01** ड्राइविंग लाइसेंस
4. **01** पैन कार्ड, **10** बैंक कार्ड
5. **04** इलेक्ट्रॉनिक कांटे
6. **01** प्लास्टिक पैकिंग मशीन व पैकिंग मटेरियल
7. **06** मोबाइल फोन
8. **₹5,00,000/-** रुपये ड्रग मनी नकद। (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग **₹1,42,00,000/-**)

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम (कमिश्नरेट गाजियाबाद) एवं एएनटीएफ (ANTF) मेरठ।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:-

दिनांक 29.06.2026 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मैनुअल इनपुट के आधार पर 01 अभियुक्त अरुण यादव पुत्र रमेश चन्द्र यादव (निवासी: घोड़े वाले मन्दिर के पास, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद, उम्र 28 वर्ष) को 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ दिल्ली पुलिस कॉलोनी के पीछे अर्धनिर्मित बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि, "मैं गाजियाबाद के बम्हेटा का रहने वाला हूँ और मुझे तमंचा रखने का शौक है। यह तमंचा और कारतूस मैंने अमन (निवासी- डासना, गाजियाबाद) से 5,000 रुपये में खरीदा था।"

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरुण यादव पुत्र रमेश चन्द्र यादव, निवासी- घोड़े वाले मन्दिर के पास, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, थाना वेव सिटी, जनपद गाजियाबाद (उम्र - 28 वर्ष)।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, तथा थाना विजयनगर, गाजियाबाद में 01 अभियोग लूट व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर
01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध गांजा बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से करीब 1.5 किलो अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1110/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण – ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत दिनांक 29/30.06.2026 की रात्रि को चेकिंग के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गांजा बेचने वाला अभियुक्त अखिलेश कुमार पुत्र स्वः कल्ली सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम दर्शन छपरापुर थाना उद्दतनगर (उदवंत नगर) जिला आरा विहार उम्र करीब 25 वर्ष को ग्रीन वेल्ट रोड़ शक्ति खण्ड 04 झुग्गी झोपड़ी के पास से करीब 1.5 किलो गांजा व गांजा बिक्री के 1110/- रुपये सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं गाजां दिल्ली से एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदकर उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर लोगो को बेचता हुं और जो पैसे गांजा बेचकर अपने शौक मौज पूरे करता हूँ तथा मै स्वंय भी गांजा पीता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- अखिलेश कुमार पुत्र स्वः कल्ली सिंह निवासी झुग्गी झोपड़ी (श्मशान घाट के पास) शक्ति खण्ड 04 इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम दर्शन छपरापुर थाना उद्दतनगर (उदवंत नगर) जिला आरा विहार उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- करीब 1.5 किलो अवैध गांजा व गांजा बिक्री के 1110/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद, 19 लाख रुपये फ्रीज।

श्री राम प्रकाश हुरिया, निवासी रामप्रस्थ कालोनी गाजियाबाद के साथ दिनांक 22.05.2026 से 04.06.2026 के बीच साइबर अपराधियों द्वारा मनी लॉड्रिंग केस का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट में रखकर उनके बैंक खाते से 2.19 करोड़ रुपये की साइबर फ्रॉड की घटना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में इस गैंग के सदस्य अभियुक्त शुभम सिंह यादव को घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन व अन्य अभिलेखों के साथ दिनांक 29.06.2026 को थाना क्षेत्र अजगैन, उन्नाव से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त शुभम सिंह यादव ने पूछने पर बताया कि वह एमबीए करने के बाद होटल लीज लेने तथा कन्स्ट्रक्शन का व्यवसाय करने लगा। शुभम सिंह यादव के वकील ओंकार श्रीवास्तव ने लखनऊ मटियारी में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आसिफ अंसारी के माध्यम से प्रयागराज निवासी हरिओम पाण्डेय से शुभम सिंह यादव की मुलाकात करायी। शुभम सिंह ने बताया कि हरिओम पाण्डेय ने मुझे शेयर ट्रेडिंग प्लटेफार्म के माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड के बारे में बताया था और शेयर ट्रेडिंग प्लेटफार्म में प्रयोग करने के लिए खातों की डिटेल उपलब्ध कराने के लिए कहा था और बताया था कि इन खातों में शेयर ट्रेडिंग में कमाये हुए लाभ का पैसा आयेगा जिसका 5 प्रतिशत आपको मिलेगा। शुभम सिंह ने अपने बैंक खाते की इन्टरनेट बैंकिंग के क्रेडेन्सियल हरिओम पाण्डेय को दे दिये तथा हरिओम पाण्डेय द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओटीपी अपने मोबाइल नम्बर से फारवर्ड कर दिये।

विवेचना से यह भी प्रकाश में आया है कि इस गैंग के सदस्य हरिओम पाण्डेय को गैंग के विदेश में बैंठे सदस्यों से क्रिप्टो करेंसी में कमीशन मिलता था। गैंग के विदेश में बैठे सदस्य सिंगापुर से पीड़ित से फ्रॉड कर बैंक खाते में प्राप्त किये पैसे को आनलाइन ट्रांसफर कर विभिन्न खातों में डायवर्ट कर साइफन करते हैं। ये अभियुक्त डिजिटल अरेस्ट के लिये पीड़ित को कम्बोडिया से व्हाट्सअप कॉल किये थे।

अभियुक्तों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के लिये जिन नम्बरों का प्रयोग किया गया वो अमरोहा उत्तर प्रदेश, बहाबलपुर उड़ीसा तथा फरीदकोट पंजाब से इशू हुए थे। इन सिम को इशू करने वाले Point Of Sell (POS) के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

आसिफ अंसारी तथा ओंकार श्रीवास्तव के साथ हरिओम पाण्डेय की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शुभम सिंह यादव पुत्र अजीत सिंह निवासी 559 केएचए/149, श्रीनगर आलमबाग, आरके गेस्ट हाउस के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 37 वर्ष शिक्षा एमबीए।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र अजगैन, उन्नाव।

बरामदगी का विवरण - 02 मोबाइल फोन व अन्य अभिलेख।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।